



पवित्र माह श्रावण मास के चौथे सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में स्थित शिव मंदिर में भगवान महादेव की विधिवत् पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के मंगल व खुशहाल जीवन की कामना की।

आरक्षण कोटे में कोटा के फैसले को लागू नहीं करेगी सरकार

गत 9 अगस्त को हुई कैबिनेट मीटिंग में ही प्र.मंत्री मोदी ने इस बारे में फैसले ले लिया था

नई दिल्ली, 12 अगस्त। अगस्त महीने के पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने एस.सी.-एस.टी. के कोटे में विभाजन को स्वीकार करके देश में दलित राजनीति पर सर्गमियां बढ़ा दी थीं। कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों ने खुलकर इस फैसले का स्वागत किया। पर दलित नेताओं ने शुरू में ही अपना रुख क्लियर कर दिया था कि वो इस फैसले के साथ नहीं है।

बीएसपी प्रमुख मायावती से लेकर लोजपा (रामविलास) तक सभी दलित नेता इस फैसले के विरोध में दिखाई दे रहे थे। संविधान बचाओ-आरक्षण बचाओ नारे का नुकसान झेल चुकी भाजपा फूंक-फूंक कर कदम रख रही थी। अंत में गत 9 अगस्त को भाजपा के एस.सी.-एस.टी. सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सांसदों को आश्वासन दे दिया कि

■ कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों ने खुलकर सुप्रीम कोर्ट फैसले का स्वागत किया था। लेकिन दलित नेताओं ने शुरू में ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि वो इस फैसले के साथ नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। 9 अगस्त को ही देर रात केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इस सिलसिले में फैसला ले लिया कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। भाजपा के इस फैसले को देखते हुए इंडिया गठबंधन के दलों में हलचल मच गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी आनन-फानन में फैसले लिए, देखते ही देखते दलित सब कोटे पर देश की राजनीति ही बदल गई।

सुप्रीम कोर्ट ने दलित सब कोटे के फैसले पर जिस दिन मुहर लगाई उसी दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवेंथ रेड्डी ने

चाह रहे हों। क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्राओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके और सेफोर्लाजिस्ट के रूप में मशहूर हो चुके योगेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में एक ऑर्टिकल लिखकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की भूरि-भूरि तारीफ की। यादव के इस लेख के बाद ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी भी इस फैसले की जल्द ही तारीफ करेंगे। पर इस बीच 9 अगस्त को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के दलित कोटे में कोटा बनाने के फैसले से दूरी बना ली। केंद्र सरकार ने किलयर कर दिया कि सरकार भीम राव आंबेडकर के बनाए संविधान के हिस्सा व आरक्षण लागू करने में विश्वास रखती है। जाहिर था कि कांग्रेस ने आनन-फानन में अपनी पॉलिसी बदली। 10 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी दलित सब कोटे का विरोध कर दिया।

ये माधवी पुरी बुच ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) से एम.बी.ए. किया था। उनके करियर की शुरुआत आई.सी.आई. बैंक से हुई थी। वर्ष 1993-95 के बीच उन्होंने इंग्लैंड के वेस्ट चार्ल्स कॉलेज के बतौर लेक्चरर काम किया। बारह साल तक उन्होंने कई कम्पनियों के सेल्स, मार्केटिंग और प्रोडक्ट डवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया।

वर्ष 2006 में उन्होंने आई.सी.आई.सी.आई. सिक्यूरिटीज को जॉइन किया तथा बाद में 2009 से 2011 तक इसके सी.ई.ओ. पद पर काम किया और 2011 में वे ग्रेंडर पैसिफिक कैपिटल को जॉइन करने के लिए सिंगापुर चली गईं। उन्होंने कई कम्पनियों जैसे जैन्स टैकनॉलॉजीज, इनो वैन कैपिटल और मैक्स हेल्थ केयर के एजीकुवटिव डायरेक्टर के पद पर काम किया। उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ डवलपमेंट मैनेजमेंट के डायरेक्टर पद पर और न्यू डवलपमेंट बैंक में सलाहकार पद पर अपनी सेवाएं दी थीं। अप्रैल 2017 में

उन्हें सेबी का पूर्णकालिक डायरेक्टर बनाया गया तथा क्लैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्क्रीमिन्स, सर्विलांस एवं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का विभाग दिया गया। जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्हें सात सदस्यों वाली टैकनॉलॉजी कमिटी में लिया गया, जिसका गठन हाउस टैकनॉलॉजी सिस्टम के विकास में सेबी की मदद के लिए किया गया था, टैकनॉलॉजी और डेटा एनॉलिस्टिक एप्लीकेशन में महारथ के कारण उन्होंने इसमें भी कई लीडमार्क फैसले दिए। 18 साल की उम्र में उनकी सगाई धवल बुच से हुई जो कि तब एफ.एम.सी.जी. मस्टरनिशनल, यूनिवर्सल में डायरेक्टर थे। जब माधवी 21 वर्ष की हुईं तब उनकी शादी हो गई, जिससे उन्हें एक बेटा है अर्थात् वे अपनी सफलता का श्रेय अपने बेटे और पति को देती हैं, जिन्हें वे अपना मित्र, सलाहकार व गाइड मानती हैं। जब 26/11 हुआ था, उस समय वे अपने पति के साथ ताज होटल में युनिवर्सल की मीटिंग में थीं।

हिंडनबर्ग ने माधवी और उनके पति पर बेनामी ऑफ शोर कम्पनियों के निवेश से लेकर कॉन्फ्लिक्ट तथा कम्पनियों के शेयर्स के दाम कुत्रिम रूप से बढ़ाने का आरोप लगाया है।

उप मुख्यमंत्री...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कुमारी अधिकारियों की बैठक लेने पहुँचीं, तभी एक युवक तेजी से दौड़ता हुआ क्लैक्टिव सभागार के अंदर घुस गया। युवक के अंदर घुसने पर सुरक्षाकर्मी हरकत में आ गए और उसे दबोच लिया तथा सिविल लाइन थाना पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। युवक ने अपना नाम निगारा गांव निवासी हंसराज गुर्जर बताया है। युवक ने बताया कि बस स्टैंड पर उसका मोबाइल चोरी हो गया था। पुलिस उसे कोर्ट सुनवाई नहीं होने के कारण वहाँ शिकायत दर्ज कराने आया था। पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है।

प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के हिन्दुओं का मुददा उठाया

नयी दिल्ली, 12 अगस्त (वार्ता) कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि वहां जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी।

प्रियंका गांधी ने कहा पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली हैं। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं।

उन्होंने जल्द ही हालात में सुधार की उम्मीद जताई और कहा हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे और वहां की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेगी।

सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच की भूमिका पर तलवारें ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) हुआ था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि बुच और उनके पति के उसी गुमनाम ऑफशोर बरमूडा एंड मॉरिशस फंड्स में कुछ छिपी हुई हिस्सेदारी थी। यह फर्म उसी कॉम्प्लेक्स में पाई गई। बरमूडा एंड मॉरिशस फंड्स का उपयोग विनोद अडानी करता था।

रिपोर्ट कहती है कि जब बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी, उसका ऑफशोर फंड के मैनेजरों से सम्पर्क रहता था तथा उसने "इंडिया इन्फोलाइन" को पत्र लिखा कि फंड की इकाइयों को मुक्त किया जाये। इसी दौरान, उसकी क्लिफ सिंगापुर की एक ऑफशोर कन्सल्टिंग फर्म "आगरा" में हो गई तथा सेबी की चेयरपर्सन नियुक्त होने के केवल दो सप्ताह बाद ही उसने अपने शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिये थे।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 40 से अधिक मीडिया जाँचों द्वारा प्रस्तुत एवं पढ़ा गया है कि बावजूद, सेबी

ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई खास सर्वजनिक कार्यवाही नहीं की है। रिपोर्ट कहती है कि सेबी की निष्क्रियता को उसी फंड को काम में लेने की बुच की सहअपराधिता से जोड़ा जा सकता है, जो अब संवीक्षा के अधीन है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी पर आई उसकी रिपोर्ट से लेकर अब तक के 18 महीनों में, "सेबी ने अडानी के मॉरिशस तथा ऑफशोर फर्मों के अडानी के कथित गुप्त जाल में बहुत ही कम रुक दिखाई।"

सेबी प्रमुख तथा उसके पति ने "रिपोर्ट में लगाए आरोपों का निराधार तथा कपटपूर्ण बताया और इनसे इन्कार किया। बोर्ड के सदस्यों के लिये सेबी का विधान कहता है कि वे अपने हितों, जो उनकी ड्यूटी के खिलाफ हो सकते हैं तथा परिरजनों ट्रांजेक्शन के उजागर हैं।

किन्तु इस नवीनतम विवाद को देखते हुए यह पूछा जाना जरूरी है: जब नियामक अडानी ग्रुप से जुड़े आरोपों की

जाँच-पड़ताल कर रहा था, तो जो बातें सामने आईं, उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? अडानी ग्रुप ने भी अपनी नियमित बीफिंग में हिंडनबर्ग के आरोपों की दुर्भावनापूर्ण, बचकाना और चालाकीपूर्ण बताते हुए कहा है कि तथ्यों और कानून की जबरन उपेक्षा कर सार्वजनिक जानकारी के चुनिंदा अंशों को व्यक्तिगत लाभ के लिए पूर्व निर्धारित निर्णयों के साथ प्रस्तुत किया गया। भाजपा ने सोमवार को आरोप लगाया कि हंगरी मूल के अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सॉरोस हिंडनबर्ग रिसर्च के मुख्य निवेशक हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद को यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि "आज हम कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका निवेश है? क्या आप जॉर्ज सॉरोस नामक सज्जन को जानते हैं जो भारत के खिलाफ नियमित रूप से दुष्प्रचार करते हैं? वे इसके मुख्य निवेशक हैं। उनके दिल में नरेंद्र मोदी के प्रति घृणा भरी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी भी भारत से घृणा करती है।"

हाल ही आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

मनीष सिसोदिया की तरह केजरीवाल की भी रिहाई होगी?

दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई के संकेत दिये

नयी दिल्ली, 12 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी (मुख्यमंत्री) याचिका पर शीघ्र सुनवाई का सोमवार को संकेत दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विचार करने का संकेत देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी और चंद्र उदय सिंह से मामले से संबंधित एक अनुरोध ईमेल के जरिये भेजने को कहा। दोनों अधिवक्ताओं ने विशेष उल्लेख के दौरान केजरीवाल का पक्ष रखते हुये उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध का अनुरोध किया था।

■ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी को संबंधित मामले के संबंध में ईमेल भेजने के लिए कहा है।

■ अगर एन मौके पर सी.बी.आई. की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती तो केजरीवाल अब तक जेल से रिहा कर दिये गये होते। शीर्ष अदालत ने मनी लॉण्डरिंग के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से दर्ज मुकदमे में केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज मुकदमा रद्द करने और जमानत के लिये दायर उनकी याचिकायें पांच अगस्त को खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुये

कहा था कि सीबीआई के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने का पर्याप्त कानूनी आधार था।

न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा था, यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण के की गयी। उच्च न्यायालय ने तब गुण-दोष के आधार पर इस मामले में कोई निर्णय

लेने से इनकार कर दिया, लेकिन निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की छूट दी थी एकल पीठ ने जमानत याचिका पर कहा था कि याचिकाकर्ता को निचली अदालत जाने की छूट है। एकल पीठ के समक्ष सीबीआई के एसपीपी रिपोट एसपीपी डी पी सिंह ने दलील देते हुए कहा था कि आरोपी केजरीवाल भ्रष्टाचार के इस मामले सूत्रधार है और उनके खिलाफ इस मामले में स्पष्ट सबूत हैं। ईडी ने 21 मार्च और सीबीआई में 26 जून 2024 को आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमे में मार्च से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को अदालत की अनुमति के बाद 25 जून को पूछताछ और फिर 26 जून को गिरफ्तार किया था।

एस.आई. पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) खिलाफ पर्याप्त सबूत होने पर उनकी गिरफ्तारी की गई। एस.ओ.जी. ने गिरफ्तारी के 24 घंटे में आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया और इसमें कानूनी प्रावधानों की अवहेलना नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को कहा है कि वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने पक्ष में साक्ष्य पेश कर सकते हैं और नियमित जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। मामले में आरोपी सुभाष बिश्णोई, राकेश भामू, मनीष बेनीवाल और दिनेश बिश्णोई, सुरेंद्र कुमार व मालाराम ने दो एस.एल.पी. के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट के 8 मई 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर जयपुर मेट्रो-द्वितीय की सी.एम्.एम्. कोर्ट का, 11 ट्रेनी एस.आई. व एक कॉन्स्टेबल सहित 12 आरोपियों की सशर्त रिहाई के निर्देश देने वाला 12 अप्रैल का आदेश रद्द कर दिया था। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथ्रा व सिद्धार्थ दवे ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर सी.एम्.एम्. कोर्ट के आदेश को बहाल कर उन्हें जमानत देने का आग्रह किया था। इसके विरोध में राज्य सरकार के ए.ए.जी. शिवमंगल शर्मा ने कहा कि एस.ओ.जी. ने आरोपियों को गिरफ्तारी के 24 घंटे में ही कोर्ट में पेश कर दिया था और इससे पहले उन्हें पूछताछ के लिए ही बुलाया था।

भाजपा व विपक्ष यू.पी. के बाय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पूरा जोर इसलिए लगा रही है ताकि वह फेजाबाद (अयोध्या) लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के हाथों हुई अपनी हार का बदला ले सके। जातव्य है कि सपा कार्यकर्ता मोहन खान तथा राजू खान द्वारा 12 वर्षीय बालिका के साथ किये गये गैंग रेप के बाद, अवधेश प्रसाद की जीत की आभा मंद पड़ गई।

जहाँ मिलकीपुर का जातीय गणित बड़े पैमाने पर सपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है, वहीं भाजपा को उक्त गैंगरेप मामले के बाद इस क्षेत्र का माहौल उसके पक्ष में हो जाने की आशा है। इसी के साथ, भाजपा बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ अपने प्रचार-अभियान को लेकर भी आशान्वित है।

जहाँ इंडिया ब्लॉक ने लोकसभा चुनावों में उसे मिला लाभ अभी गँवाया नहीं है, लेकिन गठबन्धन को दो अन्य मोर्चा पर चुनौतियों का सामना करना है। पहली, कांग्रेस और सपा दोनों ने ही सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पर चुप्पी साध रखी है, जिसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को कोटा के अन्दर कोटा की स्वीकृति दे दी गई है। दूसरी, मायावती का यह निर्णय, कि वे इन चुनावों में उतरेंगी।

■ सपा उपचुनाव में मिलकीपुर सीट पर भी जीतना चाहती है, पर 12 वर्ष की बालिका के साथ सपा के दो कार्यकर्ताओं मोईद खान व राजू खान द्वारा बलात्कार किए जाने से सपा के जीतने की संभावना कमज़ोर हो गई है।

■ 12 वर्षीय बालिका से बलात्कार की घटना और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के कारण भाजपा के पक्ष में माहौल सा बनता लग रहा है।

उपचुनाव नहीं लड़ने की अपनी पुरानी परम्परा के विपरीत, बसपा ने निर्णय लिया है कि वह इन चुनावों को पूरी ताकत से लड़ेगी। बसपा आज अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र रह गई है तथा उसका प्रभाव काफी कम हो गया है, लेकिन उसमें अभी इतनी क्षमता तो है

कि वह इस फैसले को किसी राजनैतिक दल या गठबन्धन के पक्ष में या खिलाफ प्रभावित कर सके। वर्तमान परिस्थिति को ज्यादा सम्भावना इसी बात की है कि मायावती के उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों की चुनावी सम्भावनाओं पर प्रतिकूल असर डालेंगे।

डॉ. किरोड़ी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दो दिनों से सक्रिय होने के बाद, उनके फिर से मंत्री पद पर लौटने की सियासी चर्चाओं में जन्म लिया है। इसी बीच आज भाजपा प्रदेशअध्यक्ष मदन राठौड़ के, किरोड़ी के जल्द कामकाज संभालने के बयान के बाद इन सियासी चर्चाओं को बल मिला है। मदन राठौड़ ने आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि किरोड़िलाल मोषा जल्द ही मंत्री पद का कामकाज संभालेंगे। मंत्री उमसे बात हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन्हें मनाने में कामयाब हो जाऊँगा। उन्होंने भावनात्मक रूप से मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया है, और न इसे स्वीकार किया जाएगा।

सिंधानिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बताने को कहा है कि सिंधानिया युनिवर्सिटी के खिलाफ एन.एम.सी. की ओर से शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सिंधानिया युनिवर्सिटी से एम.बी.बी.एस. करने वाली रंजना जांगड़ा व अन्य की याचिकाओं पर दिए।

सुनवाई के दौरान एन.एम.सी. की ओर से कहा गया कि उन्होंने राज्य सरकार को समय रहते हुए सूचना दे दी थी कि सिंधानिया युनिवर्सिटी को एम.बी.बी.एस. कोर्स चलाने की मंजूरी नहीं है, इसलिए युनिवर्सिटी के एम.बी.बी.एस. कोर्स को बंद किया जाए। वहीं, यू.जी.सी. ने कहा कि उन्होंने तो केवल युनिवर्सिटी को बी.एड. सहित अन्य कोर्स चलाने की मंजूरी दी थी, उन्होंने एम.बी.बी.एस. कोर्स चलाने के लिए कभी अनुमति नहीं दी थी। अदालत ने एन.एम.सी. व यू.जी.सी. का पक्ष जानने के बाद राज्य के ए.सी.एस. उच्च शिक्षा को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। मामले से जुड़े अधिवक्ता सुनील कुमार सिंघानिया ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2016-17 में नीट की परीक्षा दी थी और उसमें वे पात्र घोषित किए गए। इस दौरान सिंधानिया वि.वि. ने एक विज्ञापन जारी कर एम.बी.बी.एस. कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे। जिस पर याचिकाकर्ताओं ने युनिवर्सिटी में एम.बी.बी.एस. कोर्स में प्रवेश ले लिया और 2022 में एम.बी.बी.एस. कोर्स कर भी लिया, लेकिन जब उन्होंने एन.एम.सी. से एन.एम.सी. में प्रवेश करने के लिए आवेदन किया तो यह कहते हुए उनका रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया गया कि सिंधानिया युनिवर्सिटी एन.एम.सी. से मान्यता प्राप्त नहीं है और इसलिए उनका एम.बी.बी.एस. कोर्स वैध नहीं है। इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने आर.एम.सी. में उनका रजिस्ट्रेशन करवाने और उनकी एम.बी.बी.एस. की डिग्री को वैध करार देने का आग्रह किया।